राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 21 सितम्बर, 2023 / 30 भाद्रपद 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 16 सितम्बर, 2023

संख्याः ई0एक्स0एन0–ए (3)–3 / 2023.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–I में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :––

संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 से संलग्न अनुसूची–I में, मद संख्या 17 के सामने स्तम्भ 3 के अन्तर्गत "50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी पर 7.50 / – रुपये" शब्दों, अंको और चिन्हों के स्थान पर "50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी पर 11.00 / – रुपये" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव,
(राज्य कर एवं आबकारी)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-A(3)-3/2023, dated, 16-09-2023 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th September, 2023

No. EXN-A (3)-3/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governer. Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Schedule-I appended to the Act *ibid,* with immediate effect, namely:—

AMMENDMENT

In Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, in item No. 17, in column 3, for the words. signs and fugures " Rs. 7.50 per bag of 50Kgs", the words, signs and figures "Rs. 11.00 per bag of 50 Kgs." shall be substituted.

By order,
Principal Secretary (ST&E).

———————

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th September, 2023

No. EXN-F(10)-17/2022.—In continuation of this Department's Notifications of even No. dated 3rd March, 2023 and 4th March, 2023, whereby the Himachal Pradesh Sadhbhawana

Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 and Procedure for the scheme respectively, were Notified, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to launch the 3rd phase of Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023, for three months with effect from 01-10-2023 to 31-12-2023 with the same terms & conditions.

By order,

Sd/-
(BHARAT KHERA),
Pr. Secretary (ST&E).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–48 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।

2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

3. व्यावृत्तियां।

अनुसूची।

2023 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023 है।

2. **कतिपय अधिनियमितियों का निरसन**.––अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

3. **व्यावृत्तियां.**––इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,–

(क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्रवाई या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ज) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1882	15	प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882	सम्पूर्ण
1884	12	कृषक उधार अधिनियम, 1884	सम्पूर्ण
1887	9	प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887	सम्पूर्ण
		मण्डी लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 1997 (विक्रमी सम्वत्) एवं 1941	सम्पूर्ण
		चम्बा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 2003 (विक्रमी सम्वत्)	सम्पूर्ण
1953	7	पंजाब तम्बाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनियम, 1953	सम्पूर्ण
1955	6	हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1965	17	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965	सम्पूर्ण
1968	15	पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1968	सम्पूर्ण
1984	22	हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1984	सम्पूर्ण
2000	19	हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) संरक्षण अधिनियम, 1999	सम्पूर्ण
2003	21	हिमाचल प्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003	सम्पूर्ण
2008	14	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008	सम्पूर्ण

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उन अधिनियमितियों को निरसित किया जाना प्रस्तावित है, जिनका महत्व समाप्त हो गया है या जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं या जिनका पृथक्, स्वतन्त्र और विशेष अधिनियम के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक हो गया है। ऐसे निरसन का मुख्य उद्देश्य स्पष्टता लाने के आशय से कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना है। ये विधियां या तो असंगत हो गई हैं या अप्रक्रियात्मक हो चुकी हैं और विशेषतया अपना प्रयोजन पूर्ण कर चुकी हैं तथा उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इसलिए वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से विधेयक की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तेरह अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023 को लाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2023

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 11 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Repeal of certain enactments.
3. Savings.
THE SCHEDULE.

BILL NO. 11 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2023.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactments shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; or

(c) affect the previous operation of any enactments so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(d) affect any right, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(e) affect any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim, or demand, or any

indemnity already granted, or the proof of any past act or thing under any enactment so repealed; or

(f) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively, may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(g) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(h) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

THE SCHEDULE
(*see* Section 2)

Year 1	Act Number 2	Short Title 3	Extent of Repeal 4
1882	15	The Presidency Small Cause Courts Act, 1882.	The Whole
1884	12	The Agriculturists Loans Act, 1884.	The Whole
1887	9	The Provincial Small Cause Courts Act, 1887.	The Whole
-	-	The Mandi Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 1997 (Vikrami Samvat) and 1941.	The Whole
-	-	The Chamba Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 2003 (Vikrami Samvat).	The Whole
1953	7	The Punjab Tobacco Vend Fees (Repealing) Act, 1953.	The Whole
1955	6	The Himachal Pradesh Private Forest Act, 1954.	The Whole
1965	17	The Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.	The Whole
1968	15	The Punjab Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Himachal Pradesh Repealing) Act, 1968.	The Whole
1984	22	The Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Forest Based Essential Commodities Act, 1984.	The Whole

2000	19	The Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999.	The Whole
2003	21	The Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003.	The Whole
2008	14	The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided and Pending Cases and Applications) Act, 2008.	The Whole

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statue book to bring in clarity. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective, it has been decided to bring the Himachal Pradesh Repealing Bill, 2023 to repeal 13 Acts as specified in THE SCHEDULE to the Bill.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :
THE ....., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2023

A

BILL

to repeal certain enactments.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA :

THE ....., 2023

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–47 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।